



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940

No. 100]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2019

फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी(वाटर एंड बेवरेजिस)/नोटिफिकेशन(6)/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 – खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में “फल और सब्जी उत्पाद” से संबंधित विनियम 2.3 में:-

(क) “स्कवाश, क्रशज, फलों के सीरप/फलों के शर्बत और बालें जल” से संबंधित उप-विनियम 2.3.21 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात: -

2.3.21 स्कवाश, क्रशज, कोरडियाल और जौ का पानी :

1. स्कवाश और क्रशज से तात्पर्य उपयुक्त फल अथवा कई फलों को पोषक मधुरकों, पानी और नमकयुक्त अथवा नमकमुक्त पानी, सुगंधित जड़ी-बूटियों, छाल के तेल और उत्पादों के लिए उपयुक्त किसी अन्य संघटकों के साथ मिश्रण से प्राप्त किए गए अकिण्वत परन्तु किण्वन योग्य फलों के रस/प्यूरी अथवासाफ अथवा मटमले गाढ़े सार से तैयार किए उत्पाद से है।
2. कोरडियाल से तात्पर्य पोषक मधुरकों और नमकयुक्त अथवा नमकमुक्त पानी, छाल के तेल और उत्पादों के लिए उपयुक्त किसी अन्य संघटकों के साथ अकिण्वत परन्तु किण्वन योग्य निर्मलीकृत फलों के मिश्रण से प्राप्त किसी भी प्रकार के कोशिकीय तत्वों से मुक्त किसी निर्मल उत्पाद से है।
3. जौ के पानी से तात्पर्य पोषक मधुरकों, नमकयुक्त अथवा नमकमुक्त पानी, छाल के तेल और 0.25 प्रतिशत से अत्यून जौ स्टार्च और उत्पादों के लिए उपयुक्त किसी अन्य संघटकों के साथ अकिण्वत परन्तु किण्वन योग्य फलों के रस के मिश्रण से तैयार किए गए उत्पाद से है।
4. इस उत्पाद में परिशिष्ट क सहित इन विनियमों में अनुमत खाद्य सहयोज्य हो सकते हैं। ये उत्पाद परिशिष्ट ख में दी गई जीव विज्ञानीय अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ये उत्पाद निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे:-

उत्पादों के नाम	अंतिम उत्पाद में फलों का रस/प्यूरी का न्यूनतम (%)	कुल विलेय ठोस न्यूनतम (%)	सिट्रिक एसिड अधिकतम (%) के रूप में व्यक्त अम्लता
(1) स्कवाश	25	40	3.5
(2) क्रश	25	55	3.5
(3) कोरडियाल	25	30	3.5
(4) जौ का पानी	25	30	2.5

5. आधान उत्पाद से पूरी तरह से भरे हुये होंगे और जब उत्पाद कठोर आधानों में पैक किया जाए, तो आधान के शुद्ध भार के 90.0 प्रतिशत से अत्यून भरा हुआ होगा। आधान का शुद्ध भार 20 डिग्री सें. पर आसवित जल का परिमाण है जिसे मुहरबंद आधान, जब उसे पूरी तरह से भरा जाए, धारण करने योग्य है।

(ख) “संश्लिष्ट सीरप या शर्बत” से संबंधित उप-विनियम 2.3.24 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

2.3.24 शरबत और संश्लिष्ट सीरप

1. शरबत में फल अथवा सब्जियों अथवा गिरी अथवा जड़ी-बूटी अथवा पुष्प अथवा मसाले अथवा इनके मिश्रण का रस अथवा सार-तत्व का न्यूनतम 25 प्रतिशत होगा।

यह जला हुआ नहीं होगा अथवा आपत्तिजनक अपमिश्रण, स्वाद, अपरिष्कृत मधुरक अभिकारकों, असम्बद्ध पदार्थों और क्रिस्टलीकरण से मुक्त होगा। शरबत निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

क्र.सं.	पैरामीटर	अनुमत सीमा
1.	सिट्रिक एसिड के रूप में अम्लता अधिकतम (%)	0.05 से 0.15
2.	विशिष्ट गुरुत्व	1.3 से 1.5
3.	कुल विलेय ठोसभार का प्रतिशत	30.0 से अधिक
4.	pH	4.5 से कम

2. संशिलिष्ट सीरप शर्करा, डेक्सट्रोज अथवा द्रवित ग्लोकोज से बनाए गए मिश्रित सीरप द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

यह जला हुआ नहीं होगा अथवा आपत्तिजनक अपमिश्रण, स्वाद, अपरिष्कृत मधुरक अभिकारकों, असम्बद्ध पदार्थों और क्रिस्टलीकरण से मुक्त होगा। संशिलिष्ट सीरप निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

क्र.सं.	पैरामीटर	अनुमत सीमा
1.	सिट्रिक एसिड के रूप में अम्लता अधिकतम (%)	0.1 से 0.3
2.	विशिष्ट गुरुत्व	1.0 से 1.5
3.	कुल विलेय ठोस भार का प्रतिशत	30.0 से अधिक
4.	pH	4.5 से कम

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.-III/4/असा./575/18]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किये गए थे; -

- 1) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- 2) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- 3) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- 4) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- 5) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- 6) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- 7) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 8) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 9) फा.सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 10) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 11) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 12) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- 13) फा.सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- 14) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- 15) फा. सं. 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

- 16) फा.सं.1-12/मानक/एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- 17) फा.सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- 18) एफ. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- 19) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- 20) फा.सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 21) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 22) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- 23) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- 24) फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- 25) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- 26) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- 27) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 28) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 29) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- 30) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।
- 31) फा. सं. 1/योजक/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;
- 32) फा. सं. मानक/एफऔर वीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;
- 33) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- 34) फा.सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 35) फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 36) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 37) फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- 38) फा.सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 39) फा.सं.मानक/ओऔर एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 40) एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- 41) फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 42) फा.सं. 1/योजक/मानक/वी आइ एस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 43) एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018
- 44) एफ.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- 45) एफ. सं. 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;

- 46) एफ० सं० स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- 47) स. स्टैंडर्ड्ससी/ पी एल एंड सी पी20-अधिसूचना/एफएसएसएआई/16, तारीख 4 मई, 2018;
- 48) फाइल सं० एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफिकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 49) फा० सं० मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 50) फा.सं. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- 51) फाइल सं० 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;
- 52) फा० सं० मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;
- 53) फा० नं० मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 54) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 55) फा. सं. मानक/एफ&वीपी/नोटिफिकेशन(04)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 56) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशन/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 26 नवम्बर, 2018; और
- 57) फा. सं. 02-01/ ईएनएफ-1 (1)/एफएसएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2019

F. No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notification(6) FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with sections 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Regulation 2.3. relating to “FRUIT & VEGETABLE PRODUCTS”,
- a) The sub-regulation 2.3.21 relating to “Squashes, Crushes, Fruit Syrups/Fruit Sharbats and Barley Water” shall be substituted by the following namely:-

“2.3.21 Squashes, Crushes, Cordial and Barley Water:

1. Squashes and Crushes means the product prepared from unfermented but fermentable fruit juice/puree or concentrate clear or cloudy, obtained from any suitable fruit or several fruits by blending it with nutritive sweeteners, water and with or without salt, aromatic herbs, peel oil and any other ingredients suitable to the products.
2. Cordial means a clear product free from any cellular matter, obtained by blending unfermented but fermentable clarified fruit juice with nutritive sweeteners & water with or without salt and peel oil and any other ingredients suitable to the products.
3. Barley water means the product prepared from unfermented but fermentable fruit juice by blending it with nutritive sweeteners, water with or without salt and peel oil and barley starch not less than 0.25 percent and any other ingredient suitable to the product.
4. The product may contain food additives permitted in these regulations including Appendix A. The product shall conform to the microbiological requirements given in Appendix B.

The product shall comply with the following requirements:—

	<i>Name of the products</i>	<i>Min (%) of fruit juice/ puree in the final product</i>	<i>Total Soluble Solids Min (%)</i>	<i>Acidity expressed as Citric Acid Max (%)</i>
(1)	Squash	25	40	3.5
(2)	Crush	25	55	3.5
(3)	Cordial	25	30	3.5
(4)	Barley Water	25	30	2.5

5. The co5. The container shall be well filled with the product and shall occupy not less than 90.0 percent of the water capacity of the container, when packed in the rigid containers. The water capacity of the container is the volume of distilled water at 20°C which the sealed container is capable of holding when completely filled.”;

- b) The sub-regulation 2.3.24 relating to “Synthetic Syrup or Sharbat” shall be substituted by the following namely:

“2.3.24 Sharbat and Synthetic syrup

1. Sharbat shall contain minimum 25 percent of juice or extract of fruit or vegetable or nut or herb or flower or spice, alone or in combination.

It shall be free from burnt or objectionable taints, flavours, artificial sweetening agents, extraneous matter and crystallization. Sharbat shall also meet the following requirement:

Sr. No.	Parameter	Permissible limits
1.	Acidity as citric acid Max (%)	0.05 to 0.15
2.	Specific Gravity	1.3 to 1.5
3.	Total Soluble Solids, Percent by mass	More than 30.0
4.	pH	Less than 4.5

2. Synthetic Syrup shall be obtained by blending syrup made from sugar, dextrose or liquid glucose.

It shall be free from burnt or objectionable taints, flavours, artificial sweetening agents, extraneous matter and crystallization. Synthetic Syrup shall also meet the following requirement:

Sr. No.	Parameter	Permissible limits
1.	Acidity as citric acid Max (%)	0.1 to 0.3
2.	Specific Gravity	1.0 to 1.5
3.	Total Soluble Solids, Percent by mass,	More than 30.0
4.	pH	Less than 4.5".

PAWAN AGRAWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./575/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification.

- 1) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- 2) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- 3) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- 4) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- 5) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- 6) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- 7) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 8) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 9) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- 10) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- 11) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- 12) F.No. 1-10(1)/Standards/SP9Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- 13) No. 3-16/Specified Foods/Notification (Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- 14) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- 15) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- 16) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- 17) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- 18) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- 19) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- 20) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- 21) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- 22) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- 23) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- 24) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- 25) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- 26) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- 27) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;

- 28) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- 29) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- 30) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- 31) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- 32) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- 33) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- 34) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- 35) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- 36) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
- 37) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- 38) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- 39) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- 40) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- 41) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- 42) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- 43) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
- 44) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- 45) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- 46) File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- 47) No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- 48) F. No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, dated 20th July, 2018;
- 49) F. No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, dated 20th July, 2018;
- 50) Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, dated 31st July, 2018;
- 51) F.No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 8th November, 2018;
- 52) F. No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, dated 16th November, 2018;
- 53) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;
- 54) F. No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 55) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November,2018;
- 56) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26th November, 2018; and
- 57) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019.